



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-540/NH-52/Sewer/2025-26/ 2017

Date: 29.09.2025

Invitation of Public Comments

Sub.: 4 laning of Bodhare to Dhule from km 390.000 to km 457.231 section of NH-52 under Bharatmala Pariyojana under HAM - **Proposal for laying of sewer pipeline between km 455.411 to km 457.203 on NH-52 by Commissioner, DMC, Dhule -Reg.**

Ref.: 1. The PD, PIU Dhule's Office letter No. 2011 dated 22.09.2025.
2. Commissioner, DMC, Dhule letter No 608 dated 08.09.2025.

This is to inform all concerned that vide their letter under Ref.2, that the Commissioner, DMC, Dhule has submitted a proposal for the subjected work. Subsequently, the NHAI, PD, PIU-Dhule has recommended the above proposal vide his letter under Ref. 1 for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

- 1) The alignment / location for laying / crossing of the proposed Sewer Pipeline the Commissioner, DMC, Dhule in the subject mentioned section is as follows:
 - Laying of Sewer pipeline between km 455.411 to km 457.203.
- 2) As per Para-4 of Ministry's Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall put out a NOTICE in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest etc.).

In view of the above, the comments / objections of affected public are hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address **within 30 days** from the issuance of this Public Notice. Any comments received of the expiry of the above period / beyond the due date, will NOT be accepted. Please note.

The Regional Officer,
Regional Office - Nagpur
NNHA, "Narang Towers", 1st Floor,
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001, Maharashtra.
Tel: 0712-2520091; Email: ronagpur@nhai.org

[Signature]
(A.S. Pimple)

General Manager (Tech.)

Copy to:

1. Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi - for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
2. Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of
Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-540/NH-52/सीवर/2025-26/ 2017

दिनांक: 29.09.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का निमंत्रण

विषय: भारतमाला के अंतर्गत एनएच-52 के बोधारे से धुले तक किमी 390.000 से किमी 457.231 तक 4 लेन का निर्माण।
एचएएम के तहत परियोजना - आयुक्त, डीएमसी, धुले द्वारा एनएच-52 पर किमी 455.411 से किमी 457.203 के बीच सीवर पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव।

संदर्भ: 1. पीडी, पीआईयू धुले का कार्यालय पत्र संख्या 2011 दिनांक 22.09.2025।
2. आयुक्त, डीएमसी, धुले पत्र संख्या 608 दिनांक 08.09.2025।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि आयुक्त, डीएमसी, धुले ने संदर्भ 2 के अंतर्गत अपने पत्र के माध्यम से उक्त कार्य हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात, एनएचआई, पीडी, पीआईयू-धुले ने संदर्भ 1 के अंतर्गत अपने पत्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी/राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन हेतु उपरोक्त प्रस्ताव की अनुशंसा की है।

3) प्रस्तावित सीवर पाइपलाइन बिछाने / क्रॉसिंग के लिए संरक्षण / स्थान आयुक्त, डीएमसी, धुले द्वारा विषयगत अनुभाग में उल्लिखित है:

- किमी 455.411 से किमी 457.203 के बीच सीवर पाइपलाइन बिछाना।

4) मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एसएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन दावे और आपत्तियाँ (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित आदि के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में एक नोटिस जारी करेगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित हैं। इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर, आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं। उपरोक्त अवधि की समाप्ति/निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त कोई भी टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। कृपया ध्यान दें।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

एनएनएचए, "नारंग टावर्स", प्रथम तल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाईन्स, नागपुर- 440 001, महाराष्ट्र।

फोन: 0712-2520091; ईमेल: ronagpur@nhai.org

(ए.एस. पिंपले)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

- वेब प्रशासन, एनएचआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचआई की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए [web-admin@nhai.org]
- निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए [mansoor@nic.in]